आज़ादी का अमृत महोत्सव

योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
एवं मा. अध्यक्ष, मण्डी परिषद

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश की 100 दिन की उपलब्धियां

श्री दिनेश प्रताप सिंह
मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
कृषि निर्यात, कृषि विपणन
एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश

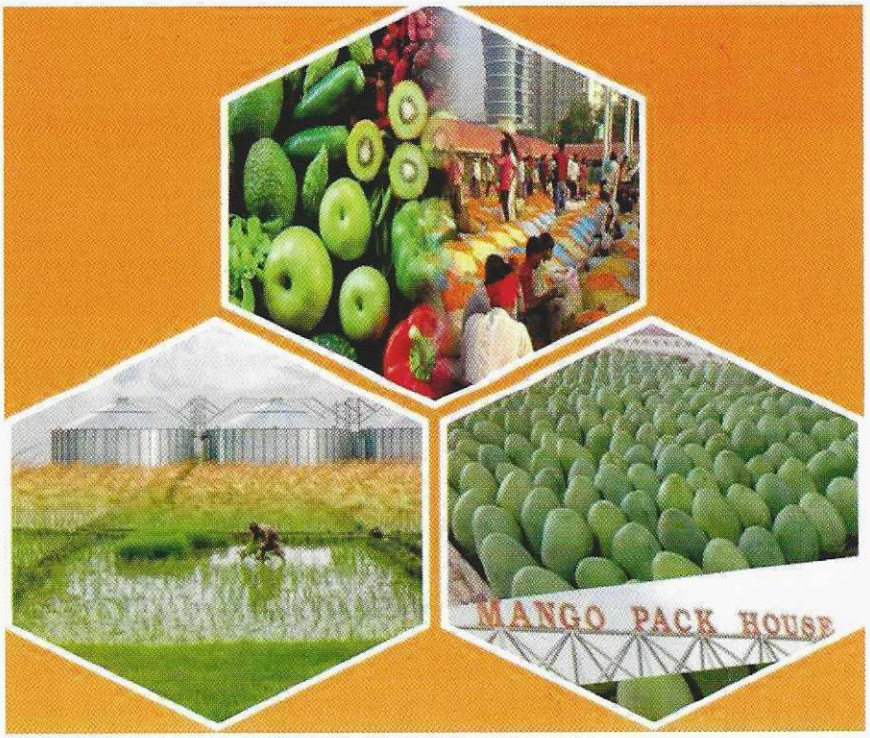

मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश की दिनांक 12.07.2022 को आयोजित प्रेस-कान्फ्रेन्स हेतु प्रेसनोट

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश
(परिचय)

(क) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0:–

1– मण्डी परिषद अपने स्थापना वर्ष 1973 से उत्तरोतर विकास करते हुए 251 विनियमित मण्डियों एवं 2054 विनियमित उपमण्डी स्थलों (382 उपमण्डी स्थल + 1544 ए.एम. एच. + 128 रिन) के नेटवर्क के साथ किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराने में सतत् कार्यरत है।

2– मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश में कृषि उत्पाद के व्यापार स्थल उपलब्ध कराने हेतु मंडी स्थलों के अतिरिक्त 1643 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब का निर्माण, 133 रिन का निर्माण, 07 विशिष्ट मण्डी स्थलों का निर्माण, 05 किसान बाजार का निर्माण, 87 कृषक सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया ।

3– वर्तमान में कृषकों की आय बढाने एवं व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश में कृषि विपणन सुधार किये गए हैं जिसमे कृषकों को विपणन की स्वतंत्रता, भण्डारागार/साइलो/ शीत गृह आदि को मण्डी उपस्थल घोषित किया जाना, व्यापारियों को सीधा विपणन की सुविधा, विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना, निजी मण्डी स्थल की स्थापना, मण्डी समितियों का लोकतंत्रीकरण, एकीकृत लाइसेंस, ई–ट्रेडिंग आदि सम्मिलित हैं ।

4– मण्डी परिषद जहॉ एक ओर किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कृषकों के कल्याण में योगदान कर रहा है वहीं दूसरी ओर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से देश को विदेशी मुद्रा तथा उत्पादक को बेहतर मूल्य प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

5– ईज आफ डूइंग बिज़नेस के लिए मंडी परिषद् द्वारा ''ई–मण्डी'' आनलाइन पोर्टल की व्यवस्था प्रदान की गयी है। व्यापारी अपने खरीद–फरोख्त को आनलाइन प्रपत्र–6 एवं प्रपत्र–9 के माध्यम से आसानी से जारी कर सकता है।

(ख) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश:–

1– मंडियों में आने वाली कृषि जिन्सों के बाजार भाव का एकत्रीकरण एवं उनसे संबन्धित उपयोगी रिपोर्ट तैयार करते हुए विभागीय वेबसाइट (www-upkrishivipran-in) एवं भारत सरकार की एगमार्कनेट वेबसाइट तथा मोबाइल एप (UP Mandi Bhav) के माध्यम से मार्केट इंटेलीजेन्स की सूचना आम जनमानस को अद्यतन उपलब्ध कराना।

2– मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत वैकल्पिक कृषि बाजार व्यवस्थाओं यथा मण्डी उपस्थल की घोषणा की शासन को संस्तुति करना, निजी मण्डी स्थल एवं उत्पादन स्थल के निकट किसानों से सीधी खरीद हेतु एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करना।

3– उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात की नोडल एजेन्सी के रूप में प्रदेश से कृषि निर्यात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन/सब्सिडी (क्लस्टर के निकट स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात आधारित अनुदान, क्लस्टर आधारित निर्यात उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, परिवहन अनुदान, कृषि निर्यात संबन्धित डिग्री/डिप्लोमा संबन्धित छात्रवृत्ति एवं एकमुश्त अनुदान, कृषि निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस/प्रयोक्ता प्रभार से छूट) प्रदान करना।

4– राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अन्तर्गत आनलाइन बाजार हेतु ई–नाम मण्डियों में कृषि जिन्सों की गुणवत्ता निर्धारण (असेयिंग) करना।

5– भारत सरकार की 'एगमार्क' योजना के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करना।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की 100 दिवस में प्राप्त की गयी उपलब्धियों का विवरण :

(क) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0:–

1. चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में रुपए 6.60 करोड़ की लागत से 50 कमरों के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण पूर्ण कराया गया है।

▶▶ इस उपलब्धि से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ–साथ कृषि एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. मलिहाबाद, मिश्रित तथा भिनगा क्षेत्रों में कृषक एवं व्यापारियों को मूलभूत कृषि विपणन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए रुपए 104.84 करोड़ की लागत से उप मंडी स्थल मलिहाबाद, नवीन मंडी स्थल मिश्रित एवं भिनगा का निर्माण कार्य किया गया है।

▶▶ मलिहाबाद, मिश्रित तथा भिनगा क्षेत्रों के कृषको एवं व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होने के साथ कृषि विपणन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

3. मण्डियों को आधुनिक स्वरूप देने के लिये तथा किसानों, व्यापारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 19 नग नवीन मण्डियों यथा– 1–मुजफ्फरनगर 2–शामली 3–साहिबाबाद 4–नोएडा 5–शाहजहॉपुर 6–पूरनपुर 7–खैर 8–छर्रा 9–कासगंज 10–मथुरा 11–कोसीकलॉ 12–भोजला भरारी (झांसी) 13–सीतापुर रोड लखनऊ 14–पलिया 15– सुल्तानपुर 16–बहराइच 17–गोरखपुर 18–सहजनवॉ 19–देवरिया का आधुनिकीकरण किया गया है।

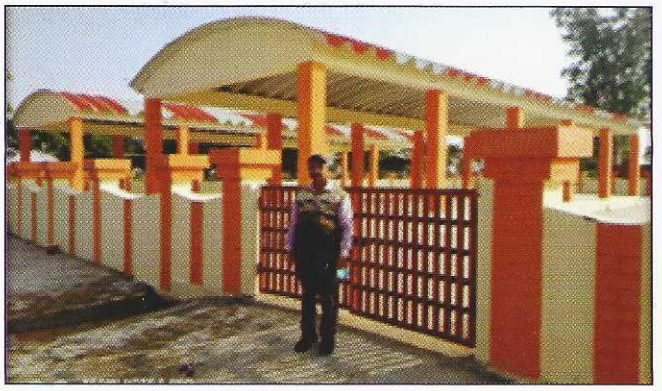

▶▶ आधुनिकीकरण अन्तर्गत मुख्यतः ई–नाम आफिस की स्थापना बहुउद्देशीय इमारत व कैन्टीन की व्यवस्था एवं पूर्व सृजित परिसम्पत्तियों का संरक्षण इत्यादि किया गया है,

जिससे कृषि विपणन प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित कर किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जा सके।

4. कृषि विपणन प्रक्रिया में सुधार एवं किसानों को प्रदेश के किसी भी मण्डी क्षेत्र में उत्पाद ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए Online Pre & Arrival पास की व्यवस्था की गयी है।

▶▶ Online Pre & Arrival पास किसान स्वयं जारी कर सकता है। इससे किसान को अपने उत्पाद के संचरण में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

5. किसानों व व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत ईज आफ डूइंग बिज़नेस के अन्तर्गत ई–मण्डी क्रियान्वित की गयी है, ई–मण्डी में डिजिटल पेमेण्ट (एस.बी.आई के पेमेन्ट गेटवे के साथ इन्टीग्रेट कर) की व्यवस्था, स्वतः गेटपास जारी करने की व्यवस्था की गयी है।

▶▶ ई–मण्डी क्रियान्वयन से व्यापारियों को व्यापार करने में सहजता होगीं। प्रक्रियाओं को आनलाइन करने तथा कृषि विपणन को इन्सपेक्टर राज से मुक्त करने पर व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया है।

6. ई–नाम की 05 मण्डियों को मॉडल मण्डी बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन कर 05 मण्डियों को माडल मण्डी बनाया गया। 05 मंडियों में प्राथमिक आवक की आनलाइन नीलामी कराई जा रही है।

▶▶ इन मंडियों मे ई–नाम भवन में हेल्पडेस्क स्थापित किये गए है, नीलामी चबूतरे पर CCTV कैमरा स्थापित कराया गया है, ई–नाम के प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाये गए हैं, किसान के उत्पाद की तौल के लिए weighing scale एवं टिकर बोर्ड स्थापित किये गये हैं जिससे किसानो को ई निलामी के माध्यम से बेहतर मूल्य के अवसर बढ़ेंगे।

7. किसानों को घटतौली से बचाने के लिये मण्डी परिषद द्वारा स्थापित Weigh&Bridge को चरणबद्ध तरीके से सर्वप्रथम 50 मण्डियों में अपग्रेड किया गया है। जिससे तौल पर्ची को आनलाइन किया जा सके।

▶▶ तौल पर्ची आनलाइन हो जाने से जहां एक ओर कर चोरी पर अंकुश लगेगा वही किसानों को उनके उत्पाद का सही तौल प्राप्त होगा।

8. रु0 61.87 करोड़ की लागत से आधुनिक मत्स्य मण्डी चंदौली परियोजना भारत सरकार, राज्य सरकार तथा मंडी परिषद उ0प्र0 के समन्वित सहयोग से निर्मित की जा रही हैं, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 30 करोड रुपये, राज्य सरकार द्वारा 20 करोड रुपये तथा मंडी परिषद द्वारा 11.87 करोड़ रुपये का वहन किया जायेगा।

▶▶ योजना से चन्दौली क्षेत्र के मत्स्य पालकों को व्यापार की सुविधा मिलेगी।

9. रु0 8.66 करोड़ की लागत से सहजनवा, गोरखपुर में इंटीग्रेटेड पैक हाउस परियोजना एपीडा के सहयोग से स्थापित/क्रियान्वित की जा रही है।

▶▶ एपीडा से Memorandum of Understanding संपादित हो गया हैं। इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण से पूर्वी उतर प्रदेश से फल सब्जी के निर्यात के अवसर बढ़ जायेंगे।

(ख) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

1. कृषि निर्यात पर देय मण्डी शुल्क की छूट की प्रक्रिया को सरलीकृत करने का उद्देश्यदिनांक 05 मई,2022 को किये गये शासनादेश द्वारा प्राप्त कर लिया गया।

▶▶ इस व्यवस्था से निर्यातकों को निर्यात पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार व विकास सेस से छूट की व्यवस्था बैंक गारन्टी के सापेक्ष प्राप्त होनी प्रारम्भ हो गई है।

2. कृषि विपणन निदेशालय का पुर्नगठन कर प्रत्येक जनपद में एक इकाई स्थाापित के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर ली गई है।

▶▶ इसके उपरान्त निदेशालय द्वारा किये जा रहे कार्यों का विकेन्द्रीकरण समस्त 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों में सुनिश्चित होगा।

3. मुख्यालय स्तर पर मार्केट इन्टेलीजेंस इकाई (MIU) की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण कर ससमय MIU रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रथम डिजिटलरिपोर्ट विभागीय पोर्टल (www-upkrishivipran-in) पर अपलोड है।

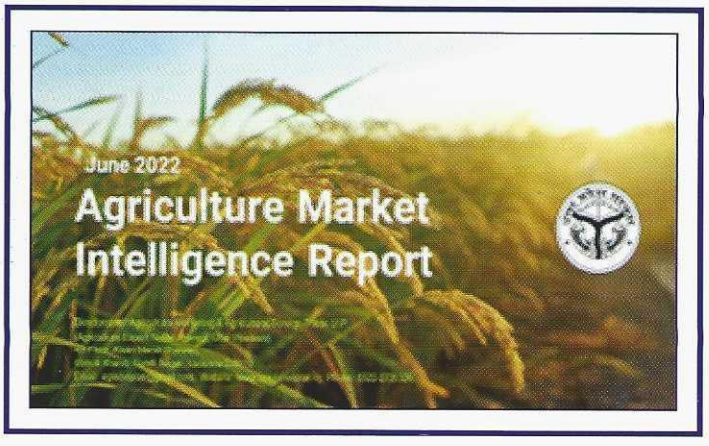

▶▶ किसान/उत्पादक/व्यापारी/निर्यातकों को कृषि जिन्स की दरें, संबन्धित सूचनायें एवं नीतिगत परिवर्तनों की ससमय जानकारी देना।

4. प्रत्येक जनपद में निर्यातोन्मुख उपज का चिन्हीकरण कर उसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसमें समस्त मंडलों / जनपदों के कृषि निर्यात परिदृश्य का आंकलन किया गया है।

▶▶ प्रदेश के विशाल क्षेत्रफल के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद की चिन्हित फसलों के निर्यात की कार्ययोजना बनायी गयी है। इस निर्यात योजना द्वाराजिला/मंडल के संभावित उत्पादों का निर्यात बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को कृषि निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

.....